स्थायी वित्त निर्देश 25 / 2025

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

क्रमांक RULE/353/2025-FINANCE नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 23/07/2025

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त संभागायुक्त
समस्त जिलाध्यक्ष
छत्तीसगढ़

विषयः–छत्तीसगढ़ सिविल सेवाएं (अवकाश) नियम 2010 के अंतर्गत अवकाश स्वीकृति के अधिकारों का प्रत्यायोजन ।

संदर्भः– इस विभाग के परिपत्र

1. क्र. 307/10/वित्त/नियम/चार/2010, दिनांक 01.10.2010 (वि.नि. 37/2010)
2. क्र. 279/808/वित्त/नियम/चार/2011, दिनांक 30.08.2011 (वि.नि. 39/2011)
3. क्र. 38/एफ–1003117/वि/नि/चार/2012, दिनांक 18.02.2013 (वि.नि. 04/2013)
4. क्र. 320/एफ 2013–01–00099/वि/नि/चार, दिनांक 01.08.2013 (वि.नि. 49/2013)
5. क्र. 203/एफ 2016–16–00155/वि/नि/चार, दिनांक 25.05.2016 (वि.नि. 15/2016)
6. क्र. 144/एफ 2018–04–00428/वि/नि/चार, दिनांक 22.03.2018 (वि.नि. 15/2018)
7. क्र. 492/एफ 2014–71–00183/वि/नि/चार, दिनांक 04.10.2018 (वि.नि. 52/2018)

––0––

छत्तीसगढ़ सिविल सेवाएं (अवकाश) नियम, 2010 को दिनांक 01 अक्टूबर, 2010 से लागू किया गया तथा समय–समय पर संदर्भित वित्त निर्देशों के द्वारा अवकाश नियमों में संशोधन एवं नये प्रावधान शामिल किये गये हैं। समस्त संशोधनों एवं प्रावधानों को नियमों के पालन में सुगमता के दृष्टिगत समेकित निर्देश जारी किये जा रहे हैं।

2. छत्तीसगढ़ सिविल सेवाएं (अवकाश) नियम, 2010 के **नियम 25** के अंतर्गत अर्जित अवकाश संचय की अधिकतम सीमा 300 दिन तथा नियम 25(3) में, एक समय में अर्जित अवकाश स्वीकृत करने की अधिकतम सीमा 180 दिन निर्धारित है। अपरिहार्य परिस्थितियों में ही 180 दिन से अधिक अवधि के अवकाश प्रकरण वित्त विभाग को प्रेषित किया जाये।

3. **नियम 28–अर्धवेतन अवकाश** की पात्रता प्रत्येक पूर्ण वर्ष हेतु 20 दिन निर्धारित है जिसे अर्जित अवकाश के समान ही वर्ष में दो बार 01 जनवरी तथा 01 जुलाई को 10–10 दिन

अग्रिम अर्धवेतन अवकाश खाते में जमा किया जायेगा। अवकाश लेखे को उक्त सीमाओं का ध्यान रखते हुए नियमित रूप से अद्यतन रखने की आवश्यकता है।

4. **नियम 29 लघुकृत अवकाश** – किसी शासकीय सेवक को, केवल चिकित्सा प्रमाणपत्र के आधार पर, अर्धवेतन अवकाश के आधे से अधिक लघुकृत अवकाश स्वीकृत नहीं किया जा सकता है, देय अर्धवेतन अवकाश के विरुद्ध, ऐसे अवकाश की दुगुनी संख्या विकलित की जायेगी।

संपूर्ण सेवा अवधि में अधिकतम 180 दिनों तक का अर्धवेतन अवकाश (चिकित्सा प्रमाणपत्र प्रस्तुत किये बिना) लघुकृत अवकाश में परिवर्तित करने की अनुमति दी जा सकती है, जहां ऐसे अवकाश का उपयोग किसी ऐसे अनुमोदित पाठ्यक्रम के अध्ययन के लिये हो जिसे अवकाश स्वीकृत करने हेतु प्राधिकारी द्वारा लोकहित में होना प्रमाणित किया गया हो।

जहॉ शासकीय सेवक जिसे लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया गया है, सेवा से त्यागपत्र देता है अथवा उसे उसके निवेदन पर सेवा में वापस लौटे बिना स्वैच्छिक सेवानिवृत्त होने की अनुमति दी जाती है, के लघुकृत अवकाश को अर्धवेतन अवकाश के समान समझा जायेगा तथा लघुकृत अवकाश एवं अर्धवेतन अवकाश के संबंध में अवकाश वेतन के मंध्य के अन्तर की वसूली की जायेगी।

परन्तु ऐसी वसूली नहीं की जायेगी, यदि सेवानिवृत्ति शासकीय सेवक की अस्वस्थता के कारण आगे की सेवा के लिये अनुपयुक्त होने के फलस्वरूप हुई हो अथवा उसकी मृत्यु हो गई हो।

5. **नियम 30 अदेय अवकाश** – (1) अदेय अवकाश उस अर्धवेतन अवकाश तक सीमित होगा जो उसके द्वारा भविष्य में अर्जित किया जाना संभावित है। किसी शासकीय सेवक को संपूर्ण सेवाकाल में अदेय अवकाश अधिकतम 360 दिनों तक स्वीकृत किया जा सकता है। एक समय में अधिकतम 90 दिन तथा कुल 180 दिनों तक अदेय अवकाश बिना चिकित्सा प्रमाण पत्र के स्वीकृत किया जा सकता है।

यदि शासकीय सेवक, सेवा से त्यागपत्र देता है अथवा उसे उसके निवेदन पर सेवा में वापस लौटे बिना स्वैच्छिक सेवानिवृत्त होने की अनुमति दी जाती है, तो उसका अदेय अवकाश निरस्त कर दिया जायेगा, उसका त्यागपत्र अथवा सेवानिवृत्ति उस तिथि से प्रभावशील मानी जावेगी जिस तिथि से ऐसा अवकाश प्रारंभ हुआ था तथा अवकाश वेतन की वसूली की जायेगी।

अवकाश वेतन की वसूली नहीं की जायेगी, यदि शासकीय सेवक की सेवानिवृत्ति अस्वस्थता के कारण आगे की सेवा के लिये अनुपयुक्त होने के फलस्वरूप हुई हो अथवा उसकी मृत्यु हो गई हो ।

6. **नियम 31 असाधारण अवकाश** – जब कोई अन्य प्रकार का अवकाश स्वीकार्य न हो, अथवा जब कोई अन्य प्रकार का अवकाश स्वीकार्य हो, किंतु शासकीय सेवक असाधारण अवकाश स्वीकृत करने हेतु लिखित आवेदन दे, असाधारण अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु उसके द्वारा दी गई सूचना की अवधि के दौरान शासकीय सेवक को असाधारण अवकाश स्वीकृत नही किया जायेगा।

असाधारण अवकाश, अवकाश लेखा में विकलित नहीं किया जायेगा।

7. [1]**नियम 38–प्रसूति अवकाश** 180 दिवस स्वीकृति के प्रावधान है। [2]"नियम 38 के उप–नियम (1) के अनुसार किसी महिला शासकीय सेवक जिसकी दो से कम जीवित संताने है, को [1]'180' दिन तक की अवधि के लिए प्रसूति अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। अवकाश अवधि में गर्भावस्था की अवधि तथा प्रसूति का दिन भी शामिल होंगे, किन्तु ऐसा अवकाश प्रसूति की तिथि से 180 दिन की पश्चातवर्ती किसी अवधि हेतु स्वीकृत नहीं किया जायेगा। ऐसी अवधि में वह उस वेतन के समतुल्य अवकाश वेतन की पात्र होगी, जो उसने अवकाश पर प्रस्थान करने के ठीक पहले आहरित किया है।"

8. **नियम 14 अवकाश लेखा**– प्रत्येक शासकीय सेवक का अवकाश लेखा कार्यालय प्रमुख द्वारा **संलग्न प्रपत्र–2** में संधारित किया जायेगा।

9. कर्त्तव्य से अधिकतम अनुपस्थिति अवधि हेतु विभिन्न नियमों में निम्नानुसार प्रावधान है:–

[3] (1) **मूलभूत नियम–18**

जब तक कि राज्यपाल मामले की विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अन्यथा विनिश्चित न करें, किसी भी शासकीय सेवक को लगातार तीन वर्ष से अधिक अवधि का किसी भी प्रकार अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा।

---

1. **अधिसूचना दिनांक 18 फरवरी, 2013 से प्रभावशील**
2. **अधिसूचना दिनांक 25 मई, 2016 द्वारा प्रतिस्थापित**
3. **अधिसूचना दिनांक 22 मार्च, 2018 से प्रभावशील**

[1] **(2) अवकाश नियम–11 कर्तव्य से अनुपस्थित अवधि**

(1) शासकीय सेवक को ***तीन वर्ष** से अधिक निरंतर अवधि के लिए किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नही किया जायेगा।

(2) कोई शासकीय सेवक अवकाश सहित या बिना अवकाश के, बाह्य सेवा से भिन्न, ***तीन वर्ष** से अधिक निरंतर अवधि के लिए कर्तव्य से अनुपस्थित रहता है तो उसे शासकीय सेवा से त्यागपत्र दिया हुआ समझा जायेगा जब तक कि राज्यपाल, प्रकरण की आपवादिक परिस्थितियों को देखते हुए अन्यथा विनिश्चित न करें:

परन्तु उप–नियम (2) के प्रावधानों को लागू करने के पूर्व उस शासकीय सेवक को ऐसी अनुपस्थिति के कारणों को स्पष्ट करने हेतु युक्तियुक्त अवसर दिया जायेगा।

(3) आचरण नियम–7

कोई भी शासकीय सेवक अवकाश (आकस्मिक अथवा अन्य) पर उसके स्वीकृत हो जाने के पूर्व प्रगमन नहीं करेगा, परन्तु आपाती दशा में अवकाश स्वीकार करने के लिए समक्ष प्राधिकारी उन कारणों से जो लेखबद्ध किये जायेंगे पहले ही उठाये गये अवकाश को, भूतलक्षी स्वीकृति दे सकेगा।

उपरोक्त उद्धरणों से स्पष्ट है कि इन नियमों के अनुसार कर्त्तव्य से अधिकतम अनुपस्थिति की अवधि तीन वर्ष हो सकती है, इससे अधिक अनुपस्थिति हेतु राज्यपाल की स्वीकृति आवश्यक होगी। राज्यपाल का अधिकार मंत्रि–परिषद् को प्रत्यायोजित है। एक माह से अधिक अवधि के अनाधिकृत अनुपस्थिति के मामले में तत्परता से विभागीय कार्यवाही की जाये और उचित दण्ड अधिरोपित किया जाये।

---

1 अधिसूचना दिनांक 01 अगस्त, 2013 द्वारा प्रतिस्थापित

***अधिसूचना दिनांक 22 मार्च, 2018 द्वारा प्रतिस्थापित**

[1]10. **नियम 13 अवकाश हेतु आवेदन**– इस नियम के उप–नियम (1) संतान पालन अवकाश को छोड़कर, अवकाश अथवा अवकाश में वृद्धि हेतु आवेदन, **प्रपत्र–1** में प्रस्तुत किया जाना चाहिए तथा संतान पालन अवकाश अथवा अवकाश में वृद्धि हेतु आवेदन, **प्रपत्र–1अ** में, सक्षम प्राधिकारी को ऐसे अवकाश अथवा अवकाश में वृद्धि स्वीकृत करने हेतु प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

[1]11. **नियम 38–ग. संतान पालन अवकाशः** महिला शासकीय सेवक को उनके 18 वर्ष से कम उम्र के 2 ज्येष्ठ जीवित संतानों के पालन–पोषण हेतु सम्पूर्ण सेवाकाल में अधिकतम 730 दिन की कालावधि के लिए संतान पालन अवकाश स्वीकृत किया जायेगा। उक्त अवकाश के संबंध में मुख्य बिन्दु निम्नानुसार होंगे –

(1) यह अवकाश एक कैलेण्डर वर्ष में तीन बार से अधिक स्वीकृत नहीं किया जाएगा।

(2) किसी एक अवसर हेतु अवकाश की कोई अधिकतम सीमा नहीं होगी, जबकि न्यूनतम सीमा 5 दिन की होगी।

(3) स्वीकृति हेतु संतान पालन अवकाश अर्जित अवकाश के समान मानी जाएगी तथा उसी प्रकार से स्वीकृत की जावेगी। उक्त अवकाश हेतु तीन सप्ताह पूर्व आवेदन प्रस्तुत करना होगा। यद्यपि विशेष परिस्थितियों में 10 दिन से कम अवधि के अवकाश स्वीकृति हेतु तीन सप्ताह की सीमा शिथिल की जा सकेगी।

(4) संतान पालन अवकाश, अवकाश लेखा के विरूद्ध विकलित नहीं किया जायेगा तथा अवकाश नियम के अंतर्गत लागू किसी अन्य अवकाश के साथ संयोजित किया जा सकेगा।

(5) अवकाश अवधि के लिए, अवकाश में प्रस्थान करने के ठीक पूर्व लागू दर से अवकाश वेतन की पात्रता होगी।

(6) संतान पालन अवकाश के समय केवल जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी, आवेदक को आवेदन पत्र के कालम–10 पर आवेदित अवकाश का स्पष्ट कारण अंकित करना होगा। यह अवकाश बच्चे के पालन–पोषण अथवा उसके विशिष्ट आवश्यकताओं जैसे कि परीक्षा, बीमारी इत्यादि के लिए स्वीकृत किया जा सकेगा।

---

1 अधिसूचना दिनांक 4 अक्टूबर, 2018 द्वारा संशोधित

(7) संतान पालन अवकाश का दावा अधिकार के रूप में नहीं किया जा सकेगा, किन्तु सामान्यतः कार्यालय का सुचारू संचालन सुनिश्चित करते हुए स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा उक्त अवकाश स्वीकृत किया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में विधिवत अवकाश स्वीकृत होने के पश्चात् ही महिला शासकीय सेवक द्वारा अवकाश पर प्रस्थान किया जाएगा।

(8) अवकाश के पहले या बाद में पड़ने वाले राजपत्रित या साप्ताहिक अवकाश स्वयमेव अवकाश के साथ संयोजित माने जाएंगे तथा अवकाश अवधि में पड़ने वाले ऐसे अवकाश संतान पालन अवकाश की गणना में शामिल किये जाएंगे।

(9) संतान पालन अवकाश लेखा का संधारण निम्न प्रपत्र में किया जायेगाः–

संतान पालन अवकाश लेखा प्रपत्र

संतान पालन अवकाश की ली गई अवधि		संतान पालन अवकाश का शेष		प्रमाणितकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर एवं पदनाम
कब से	कब तक	शेष	दिनांक	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

12. छत्तीसगढ़ सिविल सेवाएं (अवकाश) नियम, 2010 के नियम 41 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रत्यायोजन निम्नानुसार प्रभावशील है:–

क्र.	विवरण	सक्षम प्राधिकारी	प्रत्यायोजन की सीमा
1.	**अर्जित अवकाश**	1) प्रशासकीय विभाग	180 दिन
		2) विभागाध्यक्ष	
		प्रथम श्रेणी	90 दिन
		द्वितीय श्रेणी एवं तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक)	120 दिन
		3) कार्यालय प्रमुख	
		प्रथम श्रेणी	60 दिन
		द्वितीय श्रेणी एवं तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक)	90 दिन
		तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक को छोड़कर) एवं चतुर्थ श्रेणी	180 दिन
2.	**अर्द्धवैतनिक अवकाश**	1) प्रशासकीय विभाग	पूर्ण अधिकारी
		2) विभागाध्यक्ष	
		प्रथम श्रेणी	180 दिन
		द्वितीय श्रेणी एवं तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक)	240 दिन
		3) कार्यालय प्रमुख	
		प्रथम श्रेणी	60 दिन
		द्वितीय श्रेणी एवं तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक)	120 दिन
		तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक को छोड़कर) एवं चतुर्थ श्रेणी	पूर्ण अधिकार
3.	**लघुकृत अवकाश**	1) प्रशासकीय विभाग	पूर्ण अधिकार
		2) विभागाध्यक्ष	
		प्रथम श्रेणी	90 दिन
		द्वितीय श्रेणी एवं तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक)	120 दिन
		3) कार्यालय प्रमुख	
		प्रथम श्रेणी	30 दिन
		द्वितीय श्रेणी एवं तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक)	60 दिन
		तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक को छोड़कर) एवं चतुर्थ श्रेणी	पूर्ण अधिकार
4.	**अदेय अवकाश**	1) प्रशासकीय विभाग	पूर्ण अधिकार
		2) विभागाध्यक्ष	
		प्रथम श्रेणी	30 दिन
		द्वितीय श्रेणी एवं तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक)	60 दिन
		3) कार्यालय प्रमुख	
		तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक को छोड़कर) एवं चतुर्थ श्रेणी	पूर्ण अधिकार
5.	**असाधारण अवकाश**	1) प्रशासकीय विभाग	पूर्ण अधिकार
		2) विभागाध्यक्ष	
		प्रथम श्रेणी	120 दिन
		द्वितीय श्रेणी एवं तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक)	240 दिन
		3) कार्यालय प्रमुख	
		तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक को छोड़कर) एवं चतुर्थ श्रेणी	पूर्ण अधिकार

6.	**प्रसूति, दत्तक ग्रहण एवं पितृत्व अवकाश**	1) कार्यालय प्रमुख	पूर्ण अधिकार
7.	**संतान पालन अवकाश**	प्रशासकीय विभाग	पूर्ण अधिकार
		2) विभागाध्यक्ष	
		प्रथम श्रेणी	90 दिन
		द्वितीय श्रेणी एवं तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक)	120 दिन
		3) कार्यालय प्रमुख	
		प्रथम श्रेणी	60 दिन
		द्वितीय श्रेणी एवं तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक)	90 दिन
		तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक को छोड़कर) एवं चतुर्थ श्रेणी	180 दिन

टीपः–

1. प्रत्यायोजन की सीमा एक बार में स्वीकृत किए जाने वाले अवकाश हेतु है, खण्ड–खण्ड में स्वीकृत अवकाश हेतु नहीं।
2. प्रत्यायोजित अधिकार छत्तीसगढ़ सिविल सेवाएं (अवकाश) नियम, 2010 के नियम–11 की सीमा के अधीन होगी, जिसके अन्तर्गत सभी प्रकार के अवकाशों को शामिल करते हुए एक समय में स्वीकृत योग्य अवकाश की अधिकतम सीमा तीन वर्ष है।
3. विभागाध्यक्ष एवं कार्यालय प्रमुख के स्वयं के प्रकरण, संबंधित पद के नियंत्रण अधिकारियों द्वारा निराकृत किए जाएंगे।
4. यह आदेश न्यायालयों की व्यवस्था पर लागू नहीं होंगे।

13. विभागों से अपेक्षा है कि अवकाश नियम का विधिवत पालन किया जाये ताकि शासकीय सेवकों के अवकाश स्वीकृति के प्रकरणों में किसी भी प्रकार की विसंगति न हो और लंबे समय तक अवकाश स्वीकृति के प्रकरणों के लंबित रहने के कारण शासकीय सेवकों को उनके स्वत्वों के निराकरण के संबंध में कठिनाई का सामना न करना पड़े। विभागों से यह भी अपेक्षा है कि वे समय–समय पर उनके विभाग के अंतर्गत लंबित अवकाश के प्रकरणों की समीक्षा भी करे ताकि प्रकरणों का त्वरित निराकरण हो सके।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(मुकेश कुमार बंसल)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग

पृ.क्र. RULE/353/2025-FINANCE नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 23/07/2025

प्रतिलिपिः—

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर
2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, रायपुर
3. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
4. रजिस्ट्रार जनरल/महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/लोक आयोग, रायपुर/नवा रायपुर अटल नगर
6. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर अटल नगर
7. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर
8. मुख्य सचिव के उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
9. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग के निज सहायक, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
10. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, नवा रायपुर अटल नगर
11. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
12. राज्य सूचना आयुक्त, सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर
13. छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, विविध सेवा मार्ग, बिलासपुर
14. समस्त विशेष सचिव/ अपर सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव/शोध अधिकारी/विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
15. संचालक, कोष एवं लेखा/पेंशन एवं भविष्य निधि, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर अटल नगर
16. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
17. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़
18. वरिष्ठ कोषालय अधिकारी, इन्द्रावती कोषालय, इन्द्रावती भवन नवा रायपुर अटल नगर
19. समस्त कोषालय अधिकारी, छत्तीसगढ़
20. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, रायपुर/बिलासपुर, छत्तीसगढ़
21. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, नवा रायपुर अटल नगर
22. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़
23. प्रेस अधिकारी, प्रेस प्रकोष्ठ, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर

— को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु

24. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, नवा रायपुर अटल नगर को वित्त विभाग की वेबसाइट **finance.cg.gov.in** में अपलोड करने हेतु

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
वित्त विभाग

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 52] रायपुर, सोमवार, दिनांक 18 फरवरी 2013—माघ 29, शक 1934

वित्त एवं योजना विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 18 फरवरी 2013

अधिसूचना

क्रमांक 40/एफ-1003117/वित्त/नियम/चार/2012.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ सिविल सेवाएं (अवकाश) नियम, 2010 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

नियम 38 के उप-नियम (1) में, अंक "135" के स्थान पर, अंक "180" प्रतिस्थापित किया जाये.

Raipur, the 18th February 2013

NOTIFICATION

No. 40/F-1003117/Finance/Rules/IV/2012.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following amendment in the Chhattisgarh Civil Services (Leave) Rules, 2010, namely :—

AMENDMENT

In the said rules,—

In sub-rule (1) of rules 38, for the figure "135" the figure "180" shall be substituted.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. चक्रवर्ती, उप-सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.

7. नियम की कंडिका 06 (दो) में संशोधन उपरान्त निम्नानुसार प्रतिस्थापन किया जाता है :—

(दो) राज्य शासन की ओर से बैंकों को जो ब्याज अनुदान दिया जाना है, वह वर्ष के प्रारंभ से ही राज्य शासन द्वारा पंजीयक, सहकारी संस्थाएं एवं राज्य सहकारी बैंक के माध्यम से जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों को उपलब्ध करा दिया जाएगा. यह अनुदान गत वर्षों की ऋण वितरण के आधार पर गणना की जाकर उपलब्ध कराया जाएगा. संस्था द्वारा ब्याज अनुदान का दावा निर्धारित प्रारूप में प्रत्येक छ: माही समाप्त होने के 30 दिवस के अंदर किया जावेगा. बैंक/संस्था द्वारा प्रस्तुत दावा पत्रक का, जिले के उप/सहायक पंजीयक द्वारा स्वीकृति उपरांत राशि का अविलम्ब भुगतान करने की जवाबदारी जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों की होगी.

8. नियम की कंडिका 07 के संशोधन उपरान्त निम्नानुसार प्रतिस्थापन किया जाता है :—

ब्याज अनुदान का उपयोगिता प्रमाण पत्र जिले के उप/सहायक पंजीयक द्वारा सत्यापित कराकर जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक द्वारा राज्य सहकारी बैंक के माध्यम से पंजीयक सहकारी संस्थाएं को प्रस्तुत किया जावेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. डी. सिंह, सचिव.

वित्त विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 25 मई 2016

क्रमांक 205/एफ 2016-16-00155/वित्त/नियम/चार.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ सिविल सेवाएं (अवकाश) नियम, 2010 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में :—

नियम 38 के उप-नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"(1) किसी महिला शासकीय सेवक जिसकी दो से कम जीवित संतानें हैं, को 180 दिन तक की अवधि के लिये प्रसूति अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है. अवकाश अवधि में गर्भावस्था की अवधि तथा प्रसूति का दिन भी शामिल होंगे किन्तु ऐसा अवकाश प्रसूति की तिथि से 180 दिन की पश्चात्वर्ती किसी अवधि हेतु स्वीकृत नहीं किया जाएगा. ऐसी अवधि में वह उस वेतन के समतुल्य अवकाश वेतन की पात्र होगी जो उसने अवकाश पर प्रस्थान करने के ठीक पहले आहरित किया है."

No. 205/F-2016-16-00155/F/R/IV.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Civil Services (Leave) Rules, 2010, namely :—

AMENDMENT

In the said rules :—

For sub-rule (1) of rule 38, the following shall be substituted, namely :—

"(1) A female government servant who has less than two surviving children, may be granted maternity leave for a period of up to 180 days. The period of leave shall include the period of pregnancy and the day of delivery but such leave shall not be granted for any period beyond 180 days from the date of delivery. During such period, she will be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. चक्रवर्ती, संयुक्त सचिव.

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 116] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 22 मार्च 2018 — चैत्र 1, शक 1940

वित्त विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 22 मार्च 2018

अधिसूचना

क्रमांक एल 2018-04-00428/वित्त/नियम/चार. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ सिविल सेवाएं (अवकाश) नियम, 2010 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में,-

नियम 11 में, जहां कहीं भी शब्द "पांच वर्ष" आया हो के स्थान पर, शब्द "तीन वर्ष" प्रतिस्थापित किया जाये.

No. L 2018-04-00428/Finance/Rules/IV. — In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Civil Services (Leave) Rules, 2010 namely :-

AMENDMENT

In the said rules,-

In rule 11, for the words "five years", wherever they occur, the words "three years" shall be substituted.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. चक्रवर्ती, संयुक्त सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 22 मार्च 2018

अधिसूचना

क्रमांक एल 2018-04-00428/वित्त/नियम/चार. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मूलभूत नियम में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में,-

भाग 2 में, अध्याय 3 में, नियम 18 में, शब्द "पांच वर्ष" के स्थान पर, शब्द "तीन वर्ष" प्रतिस्थापित किया जाये.

No. L 2018-04-00428/Finance/Rules/IV. — In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Fundamental Rules, namely :-

AMENDMENT

In the said rules,-

In Part II, in Chapter III, in rule 18, for the words "five years", the words "three years" shall be substituted.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. चक्रवर्ती, संयुक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2018.

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद् भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 340] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 2 अगस्त 2013—श्रावण 11, शक 1935

वित्त एवं योजना विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 1 अगस्त 2013

अधिसूचना

क्रमांक एफ 2013-01-00099/वित्त/नियम/चार.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ सिविल सेवाएं (अवकाश) नियम, 2010 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

नियम 11 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"11. **कर्त्तव्य से अनुपस्थिति की अधिकतम अवधि—**

(1) शासकीय सेवक को पांच वर्ष से अधिक निरंतर अवधि के लिये किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा.

(2) कोई शासकीय सेवक, अवकाश सहित या बिना अवकाश के, बाह्य सेवा से भिन्न, पांच वर्ष से अधिक निरंतर अवधि के लिये कर्त्तव्य से अनुपस्थित रहता है तो उसे शासकीय सेवा से त्यागपत्र दिया हुआ समझा जायेगा जब तक कि राज्यपाल, प्रकरण की आपवादिक परिस्थितियों को देखते हुए अन्यथा निर्धारित न करें:

परन्तु उप-नियम (2) के प्रावधानों को लागू करने के पूर्व उस शासकीय सेवक को ऐसी अनुपस्थिति के कारणों को स्पष्ट करने हेतु युक्तियुक्त अवसर दिया जायेगा."

Naya Raipur, the 1st August 2013

NOTIFICATION

No. F-2013-01-00099/Rules/IV/2013.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Civil Services (Leave) Rules, 2010, namely :—

AMENDMENT

In the said rules,—

For rule 11, the following shall be substituted, namely :—

"11. **Maximum period of absence from duty—**

(1) No Government servant shall be granted leave of any kind for a continuous period exceeding five years.

(2) A Government servant who remains absent from duty for a continuous period exceeding five years other than on foreign service, with or without leave, shall be deemed to have resigned from the Government service unless the Governor, in view of the exceptional circumstances of the case, otherwise determines:

Provided that a reasonable opportunity shall be given to that Government servant to explain the reasons for such absence before the provisions of sub-rule (2) are invoked.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. चक्रवर्ती, उप-सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 411] रायपुर, शनिवार, दिनांक 6 अक्टूबर 2018 — आश्विन 14, शक 1940

वित्त विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर

अटल नगर, दिनांक 4 अक्टूबर 2018

अधिसूचना

क्रमांक एफ 2014-71-00183/वित्त/नियम/चार. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा,छत्तीसगढ़ सिविल सेवाएं (अवकाश) नियम, 2010 में निम्नलिखित और संशोधन करते है जो कि राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त नियमों में,-

1. नियम 13 के उप-नियम (1) के स्थान पर, निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:-

"(1) संतान पालन अवकाश को छोड़कर, अवकाश अथवा अवकाश में वृध्दि हेतु आवेदन, प्रपत्र-1 में प्रस्तुत किया जाना चाहिये तथा संतान पालन अवकाश अथवा अवकाश में वृध्दि हेतु आवेदन, प्रपत्र-1अ में, सक्षम प्राधिकारी को ऐसे अवकाश अथवा अवकाश में वृध्दि स्वीकृत करने हेतु प्रस्तुत किया जाना चाहिये."

2. नियम 38-ख के पश्चात् ,निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:-

"38-ग. संतान पालन अवकाश- (1) इस नियम के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, महिला शासकीय सेवक को सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसके संपूर्ण सेवाकाल के दौरान उसकी दो ज्येष्ठ जीवित संतानों की देखभाल के लिए अधिकतम 730 दिन की कालावधि का संतान पालन अवकाश स्वीकृत किया जा सकेगा.

(2) अधिकार के रुप में अवकाश का दावा नहीं किया जा सकेगा.

(3) उप-नियम (1) के प्रयोजनों के लिए, "संतान"से-अभिप्रेत है,-

(क) अठारह वर्ष की आयु से कम की संतान (विधिक रुप से दत्तक संतान को सम्मिलित करते हुए); या

(ख) सामाजिक न्याय तथा सशक्तिकरण मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना क्रमांक 16-18/97-एन 1.1, दिनांक 1 जून,2001 में यथा विनिर्दिष्ट न्यूनतम चालीस प्रतिशत नि:शक्तता वाली संतान (आयु सीमा का कोई बंधन नहीं).

(4) उप-नियम (1) के अधीन किसी महिला शासकीय सेवक को संतान पालन अवकाश की स्वीकृति, निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन दी जायेगी, अर्थात्:-

(क) यह एक कैलेण्डर वर्ष में तीन बार से अधिक के लिए स्वीकृत नहीं किया जाएगा. यदि स्वीकृत किये गये अवकाश की कालावधि, आगामी कैलेण्डर वर्ष में भी जारी रहती है तो बारी की गणना ऐसे वर्ष में की जायेगी जिसमें कि अवकाश का आवेदन किया गया था अथवा जिसमें आवेदन किये गये अवकाश का अधिक भाग आता है. कैलेण्डर वर्ष से अभिप्रेत है वर्ष के 1 जनवरी से प्रारंभ होकर 31 दिसम्बर तक की कालावधि.

(ख) यह सामान्य रुप से परिवीक्षा कालावधि के दौरान स्वीकृत नहीं किया जाएगा. तथापि, विशेष परिस्थितियों में, यदि परिवीक्षा कालावधि के दौरान अवकाश स्वीकृत किया जाता है तो परिवीक्षा की अवधि, उस कालावधि के बराबर अवधि तक के लिए बढ़ा दी जाएगी, जिसके लिए अवकाश स्वीकृत किया गया है.

(5) संतान पालन अवकाश की अवधि के दौरान, महिला शासकीय सेवक को अवकाश पर प्रस्थान करने के ठीक पूर्ववर्ती मास में आहरित वेतन के समान अवकाश वेतन का भुगतान किया जाएगा.

(6) संतान पालन अवकाश, अवकाश लेखा के विरुध्द विकलित नही किया जायेगा तथा यह अवकाश किसी अन्य प्रकार के अवकाश के साथ संयोजित किया जा सकेगा.

(7) इस अवकाश का खाता, पृथक से संधारित किया जाएगा तथा इसकी प्रविष्टि संबंधित महिला शासकीय सेवक की सेवा पुस्तिका में की जाएगी."

3. प्रपत्र 1 के पश्चात्, निम्नानुसार जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"प्रपत्र–13अ

(नियम 13 देखिये)

संतान पालन अवकाश हेतु आवेदन पत्र

1.	आवेदक का नाम	....
2.	पदनाम	....
3.	विभाग / कार्यालय / अनुभाग	....
4.	संतान का नाम जिसके लिए संतान पालन अवकाश का आवेदन किया जा रहा है	....
5.	संतान की जन्मतिथि (जन्म प्रमाण पत्र संलग्न करें)	....
6.	संतान के 18 वर्ष पूर्ण होने की तिथि	....
7.	क्या संतान दो बड़े बच्चों में शामिल है	हां / नही
8.	खाते में शेष अर्जित अवकाश (आवेदन की तिथि पर)	....
9.	अवकाश की अवधि– दिन	..................से..................तक
	पूर्वयोजित / अनुयोजित अवकाश, यदि कोई हो	....
10.	आवेदित अवकाश का / के कारण	....
11.	आवेदन की तिथि तक उपभोग की गई कुल संतान पालन अवकाश	....
12.	(क) क्या मुख्यालय छोड़ने की अनुमति मांगी गई है	हां / नहीं
	(ख) यदि हां, तो अवकाश अवधि के दौरान पता	....
13.	पिछले अवकाश से लौटने की तिथि, उस अवकाश की प्रकृति एवं अवधि	....

दिनांक : ....

आवेदक का हस्ताक्षर..............................

कर्मचारी कोड संख्या ....

नियंत्रक अधिकारी की अभियुक्तियां

अवकाश अनुमोदित किया जाता है/नहीं किया जाता है

दिनांक : .... हस्ताक्षर ....

पदनाम ....

कार्यालय ....

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस.के. चक्रवर्ती, संयुक्त सचिव.

Atal Nagar, the 4th October 2018

NOTIFICATION

No.F 2014-71-00183/Finance /Rules/IV. — In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Civil Services (leave) Rules, 2010, with effect from the date of its publication in the Official Gazette, namely:-

AMENDMENT

In the said rules,-

1. For sub-rules (1) of Rules 13, the following shall be substituted, namely:-

"(1) An application for leave or for an extension of leave except for Child Care Leave must be made in Form-1and application for an extension for Child Care Leave must be made in Form-1A, to the Competent Authority to grant such leave or extension."

2. After rule 38-B, the following shall be added, namely :-

"38-C. Child Care Leave- (1) subject to the provisions of this rule, a woman Government servant may be granted child care leave by the Competent Authority for a maximum period of 730 days during her entire service for taking care of her two eldest surviving children.

(2) The leave cannot be claimed as a matter of right.

(3) for the purposes of sub-rule (1), "Child" means,-

(a) a child below the age of eighteen years (including legally adopted child); or

(b) a child with a minimum disability of forty percent (without any age limilt) as specified in Notification No. 16-18/97-N1.1 dated the 1st June, 2001, Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment.

(4) Grant of child care leave to a woman Government servant under sub-rule (1) shall be subject to the following conditions, namely :-

(a) it shall not be granted for more than three spells in a calendar year. If the period of leave sanctioned also continues into the next calender year then the spell shall be counted in such year in which the leave was applied or in which major part of the leave applied falls. Calender year means the period commencing from 1st january 31st December of the year.

(b) Ordinarily, it shall not be sanctioned during the probation period. However, in special circumstances if the leave is sanctioned during the probation period then the probation period shall be extended by the period equivalent to the period for which the leave has been granted.

(5) During the period of child care leave, the woman Goverment servant shall be paid leave salary equal to the pay drawn immediately before proceeding on leave.

(6) Child care leave shall not be debited againts the leave account and this leave may be combined with any other kind of leave.

(7) The account of this leave shall be maintained separately and entry shall be made in the service book of the concerned women Government servant."

3 After Form-1, the following shall be added, namely:-

"FORM-1A

(See rule 13)

APPLICATION FOR CHILD CARE LEAVE

1.	Name of the Applicant	....
2.	Designation	....
3.	Department/Office/Section	....
4.	Name of Child for whom Child Care leave is applied for	....
5.	Date of Birth of the Child (Attach birth certificate)	....
6.	Date on which child will be attaining 18 years	....
7.	Is the child among the two eldest Children	Yes/No
8.	EL in credit (as on date of application)	....
9.	Period of Leave Days	From.................To..................
	Prefix/Suffix of holiday, if any	....
10.	Reason (s) for leave applied for	....
11.	Total Child Care Leave availed till date	....
12.	(a) Whether permission to leave headquarters is requested	Yes/No
	(b) if yes, Address during leave period	....
13.	Date of return from last leave, nature and period of that leave	....

Date........................ Signature of applicant ....

Employee Code No................................

Remarks of Controlling Officer

Leave Recommended/Leave Not Recommended

Date: ....

Signature ....

Designation ....

Office.......................................

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
S.K.CHAKRABORTY, Joint Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, [illegible] रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2018.

प्रपत्र–1
(देखिये नियम–13)
अवकाश अथवा अवकाश में वृद्धि का आवेदन पत्र

1. आवेदक का नाम...
2. प्रयोज्य अवकाश नियम..
3. धारित पद...
4. कार्यालय एवं अनुभाग..
5. वेतन...
6. *वर्तमान पद पर आहरित गृह भाड़ा भत्ता, वाहन भत्ता अथवा अन्य क्षतिपूरक भत्ते..
7. आवेदित अवकाश का स्वरूप एवं अवधि तथा तिथि जबसे अवकाश चाहा गया है..
8. अवकाश के पहले/बाद में जोड़े जाने हेतु प्रस्तावित रविवार तथा अवकाश, यदि कोई हो ....
9. आवेदित अवकाश का कारण...
10. पिछले अवकाश से लौटने की तिथि तथा उस अवकाश का प्रकार एवं अवधि...... ....
11. अवकाश अवधि का पता, स्वीकृत होने पर.. ....
12. मैं आगामी अवकाश की अवधि में अवकाश यात्रा सुविधा का लाभ उठाना/नहीं उठाना चाहता/चाहती हूँ ।...

आवेदक के हस्ताक्षर
(तारीख सहित) तथा पदनाम

13. नियंत्रण अधिकारी की टीप और/ या अनुशंसा..

हस्ताक्षर (तारीख सहित) तथा पदनाम

14. स्वीकृत कर्ता प्राधिकारी का आदेश

हस्ताक्षर (तारीख सहित) तथा पदनाम

*यदि आवेदक द्वारा कोई क्षतिपूरक भत्ता आहरित किया जा रहा है तो स्वीकृत कर्ता प्राधिकारी द्वारा यह उल्लिखित किया जाएगा कि अवकाश समाप्ति के पश्चात वह उसी पद पर लौटेगा अथवा समान भत्ते वाले किसी अन्य पद पर ।

प्रपत्र–2
(देखिये नियम 14)
अवकाश लेखा का प्रपत्र

शासकीय सेवक का नाम .... जन्मतिथि ....निरंतर सेवा प्रारंभ की तिथि.........................

अर्धस्थायी / स्थायी नियुक्ति की तिथि ....सेवानिवृत्ति / त्यागपत्र की तिथि ....

अर्जित अवकाश											अर्धवेतन अवकाश							
कैलेंडर वर्ष की छमाही में की गई सेवा का विवरण		कैलेंडर वर्ष की छमाही में सेवा के पूर्ण माह की संख्या	छमाही के प्रारंभ में जमा किया गया अर्जित अवकाश	पिछले कैलेंडर की छमाही में उपयोग किये गये असाधारण अवकाश (कालम 36) के दिनों की संख्या	घटाने हेतु अर्जित अवकाश (कालम पांच की अवधि का 1/10)	कुल जमा अर्जित अवकाश (कालम 4+11–6)	लिया गया अवकाश			अवकाश से वापसी पर अर्जित अवकाश का शेष (कालम 7–10)	कैलेंडर वर्ष की छःमाही में सेवा के पूर्ण माह की संख्या	छःमाही के प्रारंभ में जमा किया गया अर्धवैतनिक अवकाश	पिछली छःमाही में "अकार्य दिवस" माने गये दिनों की संख्या	घटाने हेतु अर्धवेतन अवकाश (कालम की अवधि का 1/18)	कुल जमा अर्धवेतन अवकाश(कालम 35+13–15)	अवकाश		
																अर्धवेतन पर अर्जित हुए अवकाश के विरुद्ध		
से	तक						से	तक	कुल दिवस							से	तक	कुल दिवस
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19